

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक - प्र07-कि0आ0-6/2010- 402
प्रेषक,

खाद्य, पटना/दिनांक-23/1/2013

जयशंकर प्रसाद यादव,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,
सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :- थोक किरासन तेल विक्रेताओं के पुनरीक्षित कमीशन के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक अवर सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक 20028/2/2000-PP(Vol.IV)(Pt.) दिनांक 28.12.2012 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा थोक किरासन तेल विक्रेताओं को देय पुनरीक्षित कमीशन की सूचना प्राप्त हुई है ।

पुनरीक्षण से पूर्व एवं बाद मिलनेवाला कमीशन निम्नवत् है :-

पुनरीक्षण से पूर्व

कमीशन

- (1) वैसे थोक विक्रेता जो - रू0 275.00/के0 एल0
फार्म XV के अन्तर्गत है (दो सौ पचहत्तर रूपया प्रति के0 एल0)
- (2) वैसे थोक विक्रेता जो - रू0 232.00/के0 एल0
फार्म XV के अन्तर्गत नहीं है (दो सौ बत्तीस रूपया प्रति के0 एल0)

पुनरीक्षण के बाद

कमीशन

- (1) वैसे थोक विक्रेता जो - रू0 438.24/के0 एल0
फार्म XV के अन्तर्गत है (चार सौ अड़तीस रूपया चौबीस पैसे प्रति के0 एल0)
- (2) वैसे थोक विक्रेता जो - रू0 377.73/के0 एल0
फार्म XV के अन्तर्गत नहीं है (तीन सौ सतहत्तर रूपया तिहत्तर पैसे प्रति के0 एल0)

पुनरीक्षित कमीशन भारत सरकार के संदर्भित पत्र की निर्गत तिथि से ही प्रभावी है ।

अतएव संलग्न भारत सरकार के पत्र में दिये गये मार्गदर्शन एवं अन्य सम्बन्धित निदेशों के आलोक में किरासन तेल का खुदरा (उपभोक्ता) मूल्य अविलंब निर्धारित कर उसकी प्रति विभाग को उपलब्ध करायी जाय । थोक किरासन तेल विक्रेताओं के पुनरीक्षित कमीशन के सम्बन्ध में पूर्व विभागीय पत्रांक 6869 दिनांक 02.12.2010 को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

विश्वासभाजन,

सरकार के अपर सचिव ।

23/01/13

ज्ञापांक - प्र07-कि0आ0-6/2010- 402

खाद्य, पटना/दिनांक-23/11/2013

प्रतिलिपि - माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पटना के आप्त सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन, पटना/अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी उप निदेशक, खाद्य/सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक - प्र07-कि0आ0-6/2010- 402

खाद्य, पटना/दिनांक-23/11/2013

प्रतिलिपि - अवर सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके पत्रांक पी0-20028/2/2000 - PP (Vol.IV) (Pt.) दिनांक 28.12.2012 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव ।

(44)

F.No.P-20028/2/2000-PP (Vol.IV) (Pt.)
 Government of India
 Ministry of Petroleum & Natural Gas
(PP Section)

Shastri Bhavan, New Delhi
 Dated 28th December, 2012

To

1. The Secretary,
Food & Civil Supplies,
All State Governments/Union Territories.
2. The Chairman,
Indian Oil Corporation Limited,
New Delhi.
3. The Chairman & Managing Director,
Industan Petroleum Corporation Ltd.
Mumbai.
4. The Chairman & Managing Director,
Bharat Petroleum Corporation Ltd.
Mumbai.
5. The Director General,
Petroleum Planning & Analysis Cell
New Delhi.

Subject: Revision In Wholesale Dealers' Commission on Kerosene Oil.

Sir,

I am directed to refer to the above subject and to say that the existing rates of Dealer's Commission on Kerosene Oil as communicated vide this Ministry's letter No. P-20028/2/2000-PP (Vol.IV) dated 7th September, 2010 are as under:

Wholesale Dealers (Form XV)	₹ 275/KL
Wholesale Dealers (other than Form XV)	₹ 232/KL

2. A De-novo study in respect of Kerosene Dealers' Commission was conducted through the National Council of Applied Economic Research (NCAER), New Delhi. The recommendations of the NCAER were further examined by the Public Sector Oil Marketing Companies (OMCs). After careful consideration of the recommendations of the Oil Industry, it has been decided to revise the rates of commission of Kerosene for Wholesale Dealers as follows:

Wholesale Dealers (Form XV)	₹ 438.24/KL
Wholesale Dealers (other than Form XV)	₹ 377.73/KL

3. The revised rates of Dealers' Commission will be effective from the date of issue of this letter.

4. The above rates of commission will serve as guidelines to the States/District/Local authorities for fixing the retail (consumer) selling price of Kerosene in urban/semi-urban and rural areas. If any State/Union Territory has, in the meanwhile, revised the rate of commission on its own, it may consider reworking them to bring it in line with these rates.

